

10.11.2025 वकिल वार्डिंग अनुपारथित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकिल मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकिल व वादी में से कोई उपारथित नहीं हुआ है। लिटिगेशन वादी का वाद अदम पैरवी व अदम डाजिरी में खारिज किया जाता है।

फ़ावली कैसल सुमार होकर शाखिल इफ़तर हो।

सहायक वकिल
(S.D.O.) बिलासपुर